न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 13/2023 **दायर दिनांकः 10.04.2023**

उनवान

1. सुगनाबाई आयु 38 वर्ष पुत्री रेवडीलाल जाति मेघवाल निवासी मूण्डला बिसोती तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 9784917604

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 22.05.2025**

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल डाबडिया पटवार क्षेत्र मूण्डलाबिसोती तहसील अटरू की खाता संख्या 33 की ख0नं0 49 रकबा 1.34 है0 आराजी व खाता संख्या 135 के ख0नं0 105/263 का रकबा 0.41 है०, ख0नं0 106/278 रकबा 0.23 है0 कुल 2 किता का रकबा 0.64 है० आराजी तथा ग्राम एवं माल रामनिवास पटवार क्षेत्र मूण्डला बिसोती की खाता संख्या 146 का ख0नं0 392 रकबा 0.45 है०, ख0नं0 393 रकबा 0.25 है०, ख0नं0 394 रकबा 0.24 है०, ख0नं0 395 रकबा 0.29 है0 कुल किता 4 रकबा 1.23 हैं० आराजी प्रार्थिया के अन्य सहखातेदारान के साथ शामलाती खाते दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 व सम्वत् 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मे प्रार्थिया का नाम अमरीबाई पुत्री रेवडीलाल दर्ज है जो प्रार्थिया का गलत नाम हैं जबकि प्रार्थिया का सही नाम सुगनाबाई पुत्री रेवडीलाल हैं। प्रार्थिया के पिता का स्वर्गवास होने के बाद के बाद फोती इन्तकाल खुलवाते समय प्रार्थिया के परिवार वालो ने प्रार्थिया का बोलता नाम अमरीबाई लिखवा दिया गया। जिससे प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे अमरीबाई दर्ज हो गया। आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र

तथा अन्य दस्तावेजो मे प्रार्थिया का नाम अमरीबाई पुत्री रेवडीलाल है। ग्राम मूण्डला बिसोती की खाता संख्या 6 मे प्रार्थिया का सही नाम सुगना दर्ज रिकार्ड है। इसलिए प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन्न हैं। प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन भिन्न नाम होने से प्रार्थिया को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास कार्य करवाने में कई प्रकार की समस्याओ का सामना करना पडता है। अस्तु प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम अमरीबाई के स्थान पर सुगनाबाई दर्ज करवाने की अधिकारी है। जिसे बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी प्रार्थिया का नाम अमरीबाई के स्थान पर सुगनाबाई नाम दुरूस्त करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/3764 दिनांक 20.12.2024 को शामिल फाईल किया गया।

साक्ष्यप्रार्थिया के तहत शपथ पत्र Pw1 उर्मिला बाई पुत्री रेवडीलाल जाति मेघवाल निवासी मूण्डला बिसोती, Pw2 सुगना बाई पुत्री रेवडीलाल जाति मेघवाल निवासी मूण्डला बिसोती के शपथ पत्र पेश किए गए तथा साक्ष्यप्रार्थिया के सशपथ बयान लेखबद्व किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थीया की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल डाबडिया सम्वत 2073–76 खाता संख्या 33 (प्रदर्श–P1), नकल जमाबन्दी ग्राम व माल डाबडिया सम्वत 2073–76 खाता संख्या 135 (प्रदर्श–P2), नकल जमाबन्दी ग्राम व माल रामनिवास सम्वत 2072–75 खाता संख्या 146 (प्रदर्श–P3), नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मूण्डला बिसोती सम्वत 2071–74 खाता संख्या 6 (प्रदर्श–P4), आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, ग्राम पंचायत मूण्डला बिसोती प्रमाण पत्र, शपथ पत्र गवाह व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 खाता संख्या 6 का ख0नं0 243 रकबा 4.12 है0 आराजी में प्रार्थिया का नाम सुगना पुत्री रेवड्या सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है तथा उर्मिला पुत्री रेवडीलाल ने भी अमरी बाई का नाम सुगना होना स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्य प्रार्थीया तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल डाबडिया पटवार क्षेत्र मूण्डलाबिसोती तहसील अटरू की खाता संख्या 33 की ख0नं0 49 रकबा 1.34 है0 आराजी व खाता संख्या 135 के ख0नं0 105/263 का रकबा 0.41 है०, ख0नं0 106/278 रकबा 0.23 है0 कुल 2 किता का रकबा 0.64 है० आराजी तथा ग्राम एवं माल रामनिवास पटवार क्षेत्र मूण्डला बिसोती की खाता संख्या 146 का ख0नं0 392 रकबा 0.45 है०, ख0नं0 393 रकबा 0.25 है०, ख0नं0 394 रकबा 0.24 है०, ख0नं0 395 रकबा 0.29 है0 कुल किता 4 रकबा 1.23 हैं० आराजी में सह खातेदार अमरीबाई पुत्री रेवडीलाल के स्थान पर सुगनाबाई उर्फ अमरीबाई पुत्री रेवडीलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल डाबडिया पटवार क्षेत्र मूण्डलाबिसोती तहसील अटरू की खाता संख्या 33 की ख0नं0 49 रकबा 1.34 है0 आराजी व खाता संख्या 135 के ख0नं0 105/263 का रकबा 0.41 है०, ख0नं0 106/278 रकबा 0.23 है0 कुल 2 किता का रकबा 0.64 है० आराजी तथा ग्राम एवं माल रामनिवास पटवार क्षेत्र मूण्डला बिसोती की खाता संख्या 146 का ख0नं0 392 रकबा 0.45 है०, ख0नं0 393 रकबा 0.25 है०, ख0नं0 394 रकबा 0.24 है०, ख0नं0 395 रकबा 0.29 है0 कुल किता 4 रकबा 1.23 हैं० आराजी में सह खातेदार अमरीबाई पुत्री रेवडीलाल के स्थान पर सुगनाबाई उर्फ अमरीबाई पुत्री रेवडीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां